# अध्याय IV: परिचालन दोष के मामले

## 4.1 डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का अनुचित उपयोग

एचबीपी खण्ड I के पैराग्राफ 2.12 और 2.12.3 निर्धारित करते है कि डीईबीपी प्राधिकृत करने की वैद्यता जारी होने की तिथि से 24 माह होनी चाहिए और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप उस तिथि पर वैद्य होने चाहिए जिस पर वास्तव में शुल्क का डेबिट किया गया है। इसके अतिरिक्त, एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार, डीईपीबी क्रेडिट का उपयोग मुक्त रूप से आयातित मदों और/या प्रतिबंधित मदों पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डीईपीबी स्क्रिप ईपीसीजी योजना के तहत आयात के प्रति शुल्क के भुगतान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डीईपीबी स्क्रिपस एफटीपी के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी निर्यात दायित्व (ईओ) चूकों को प्राधिकृत करने के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान के लिए भी उपयोग/ डेबिट किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए गई थी कि क्या आरएज़/सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीईपीबी शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों को समायोजन/उपयोग सही ढंग से किया जा रहा था और निम्नलिखित मामलों में यह पाया गया कि लाइसेंस का उपयोग प्रावधानों के विपरित किया जा रहा था।

## 4.2 अधिक डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का गलत समायोजन

आरए अहमदाबाद में आठ मामलों में ₹ 23.40 लाख की राशि के अधिक डीईपीबी शुल्क क्रेडिट और/या ब्याज को अप्रयुक्त डीईपीबी स्क्रिप/एफएफएस स्क्रिप के प्रति समायोजन किया गया जो कि गलत था।

आरए अहमदाबाद ने बताया (नवम्बर 2013) कि वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

## 4.3 डीईपीबी स्क्रिपों में स्वच्छ ऊर्जा उपकर का अनियमित डेबिट

दिनांक 22 जून 2010 की केन्द्रीय शुल्क की अधिसूचना के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रभावी दर ₹ 50 प्रति टन है। दिनांक 22 जून 2010 की

अधिसूचना सं. 28/2010-सीई और 29/2010-सीई भी ऐसे माल (अर्थात जिन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लागू होता है) को शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर से छूट देने के लिए जारी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उपकर की कुल दर ₹ 50 प्रति टन होगी। इस राशि का भुगतान नकद में किया जाना था, क्योंकि क्रेडिट से स्वच्छ ऊर्जा उपकर के भुगतान से छूट के लिए सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 में उचित संशोधन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कस्टम हाऊस, कांडला, कोलकाता बैंगलुरू, जेएनपीटी, गोवा, लुधियाना, पारादीप और मुन्द्रा में 64 प्रविष्टि बिलों के अन्तर्गत आयातित 'थोक में कोयला' की निकासी उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत डीईपीबी स्क्रिप में शुल्क डेबिट करके की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के लिए डीईपीबी स्क्रिप मे क्रमश: ₹ 68.37 लाख तथा ₹ 1.16 करोड़ की स्वच्छ ऊर्जा उपकर का गलत डेबिट हुआ।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में बताया (फरवरी 2014) कि कांडला सीमा शुल्क ने ₹ 1.26 करोड़ की वसूली सूचित की है और अमृतसर सीमा शुल्क ने दो मामलों में ₹ 2835 की वसूली सूचित की है और छ: मामलों में जांच चल रही है। कोलकाता, बैंगलुरू, जेएनसीएच, गोवा और पाराद्वीप के मामलों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

### 4.4 डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का अनियमित मंजूरी

एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 1.1 के अनुसार डीजीएफटी डीईपीबी दरों की अनुसूची को अधिसूचित करता है। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार डीजीएफटी, एफटी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों तथा एफटीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए किसी लाइसेंसिंग या किसी दूसरे सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्यातक या आयातक के पालन के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को पीएन के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और उन्हें उचित रूप से समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि क्या आरएज़ डीईपीबी क्रेडिट के सही मंजूरी को सुनिश्चित करने हेतु जांच पड़ताल कर रहे थे। निम्नलिखित मामलों में यह देखा गया कि लाइसेंस जारी करने में प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

### 4.5 डीईपीबी के अन्तर्गत लाभ स्थगत के दौरान डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

छः मदों पर डीईपीबी लाभ डीजीएफटी द्वारा जारी विभिन्न पीएनज़ के माध्यम से समाप्त कर दिए गए थे। यद्यपि, लाभ बाद में पूर्ववर्ती तारीख से बहाल कर दिया गया था, तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 108 मामलों में ₹ 13.01 करोड़ के डीईपीबी लाभ स्थगन अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए मंजूर किए गए थे।

#### (क) सूती धागा

पीएन दिनांक 21 अप्रैल 2010 के अनुसार, डीईपीबी लाभ प्रविष्टि क्र. सं. 78 (उत्पाद ग्रुप 89 – टैक्सटाइल्स) में दर्शाए गए मिश्रित धागे सहित सूती धागे के निर्यात पर समाप्त कर दिया गया था। नीति परिपत्र सं. 04 (आरई-2010)/2009-14 दिनांक 29 नवम्बर 2010 के माध्यम से फिर से स्पष्ट किया गया कि 'सूती धागा' का निर्यात डीईपीबी दर अनुसूचि के उत्पाद ग्रुप "विविध" के क्रम सं. 22डी में अवशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत भी डीईपीबी लाभ का हकदार नही होगा। उक्त को पीएन दिनांक 04 अगस्त 2011 के माध्यम से 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद किए गए निर्यात के लिए बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चार आरएज़ (अहमदाबाद, कोयम्बटूर, पुदुचेरी और नई दिल्ली) ने 21 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अन्तराल अवधि के दौरान जब 'सूती धागा' पर डीईपीबी लाभ अनुमत नही था के निर्यात के लिए ₹ 5.40 करोड़ के शुल्क स्क्रिप हेतू 35 लाइसेंस जारी किए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि जहां भी लाभ अनुमत नहीं थें वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है। अगली कार्रवाई

एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के अनुसार की जाएगी। शुरू की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

**(ख) सूती कपड़ा**

'सूती कपड़ा' के निर्यात पर डीईपीबी लाभ को पीएन दिनांक 31 मार्च, 2011 के माध्यम से 21 अप्रैल 2010 से वापस ले लिया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि डीईपीबी लाभ 21 अप्रैल 2010 को या इसके बाद किए गए लदान के संदर्भ में उत्पाद ग्रुप "विविध" की डीईपीबी प्रविष्टि क्रम सं. 22सी और 22डी के अन्तर्गत भी नहीं मिलने चाहिए। उक्त को 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावी पीएन दिनांक 4 अगस्त 2011 के माध्यम से बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि तीन आरएज़ (अहमदाबाद, मुम्बई और नई दिल्ली) ने 21 अप्रैल 2010 से 30 सितम्बर 2011 की अन्तराल अवधि के दौरान जब 'सूती धागा' पर डीईपीबी लाभ अनुमत नही था के निर्यात के लिए ₹ 4.85 करोड़ के शुल्क स्क्रिप हेतू 37 लाइसेंस जारी किए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि जहां भी लाभ अनुमत नहीं थे वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। अगली कार्रवाई एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के अनुसार की जाएगी। शुरू की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

**(ग) कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय स्टील**

शुद्धिपत्र 5 अप्रैल 2008 के साथ पठित पीएन दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुसार उत्पाद ग्रुप इंजीनियरिंग (उत्पाद कोड 61) की डीईपीबी रेट लिस्ट क्रम सं. 387ए में दर्शाए गए 'कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय स्टील' पर डीईपीबी लाभ 27 मार्च 2008 से समाप्त कर दिया गया था। इस मद पर डीईपीबी लाभ को फिर से पीएन दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, मुम्बई ने 27 मार्च 2008 और 30 मार्च 2008 के बीच निर्यात किए गए उत्पाद ग्रुप 'इंजीनियरिंग' के

क्रम सं. 387ए के अन्तर्गत 'कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय स्टील स्ट्रिप्स' पर चार निर्यातकों को ₹ 3.12 लाख के शुल्क शेयर हेतू पांच लाइसेंस जारी किए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि जहां भी लाभ अनुमत नहीं थे वसूली आरम्भ की गई है। अगली कार्रवाई एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के अनुसार की जाएगी। शुरू की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

**(घ) स्किम्ड दूग्ध उत्पाद**

शुद्धिपत्र दिनांक 23 अप्रैल 2008 के साथ पठित पीएन दिनांक 17 अप्रैल 2008 के अनुसार विविध उत्पाद (उत्पाद कोड 90) के क्रम सं. 22सी और 22डी तथा उत्पाद ग्रुप 'कैमिकल्स' (उत्पाद कोड 62) की डीईपीबी क्रम सं. 571 में दर्शाए गए 'छेना के सभी प्रकार' के अन्तर्गत 'स्किम्ड दूग्ध उत्पाद, छेना और अन्य दूसरे दूग्ध उत्पाद' के निर्यात पर डीईपीबी लाभ को 17 अप्रैल 2008 से 16 दिसम्बर 2008 तक किए गए लदान के लिए वापस ले लिया गया था। इस मद पर डीईपीबी लाभ को पीएन दिनांक 16 दिसम्बर 2008 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से फिर बहाल कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, मुम्बई ने 16 दिसम्बर 2008 से पहले किए गए लदान के लिए डीईपीबी दर अनुसूचि के क्रम सं. 571 के अन्तर्गत उत्पाद ग्रुप 'केमिकल्स' के तहत् 'एसिड छेना और दुग्ध प्रोटीन सान्द्रण 80 प्रतिशत' के निर्यात पर ₹ 44.79 लाख के शुल्क स्क्रिप हेतू चार लाइसेंस जारी किए थे, जोकि अनियमित था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आरए, मुम्बई ने लाभार्थी के समक्ष मांग उठाई है। अगली कार्रवाई एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरम्भ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

**(ड़) फेरो मैंगनीज एच.सी**

पीएन दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुसार, इंजीनियरिंग प्रोडक्स ग्रुप की क्रम सं. 327 के अन्तर्गत दर्शाए गए फेरो मैंगनीज पर डीईपीबी दर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। इस मद पर डीईपीबी

लाभ को पीएन दिनांक 14 नवम्बर 2008 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से फिर से बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, पुणे ने मै. नैचुरल शूगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि. को एक लाइसेंस जारी किया था और मई 2008 में निर्यातित, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ग्रुप की क्रम सं. 327 के अंतर्गत आने वाले 'फेरो मैंगनीज एच.सी' के निर्यात पर ₹ 2.66 लाख का शुल्क क्रेडिट दिया था, जोकि अनियमित था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) आरए, पुणे ने लाभार्थी से मांग उठाई है और फर्म को 12 नवम्बर 2013 को डीईएल सूची के अन्तर्गत रखा गया है। अगली कार्रवाई एफटी, (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरंभ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

**(च) गैर बासमती और बासमती चावल**

पीएन दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुसार, विविध उत्पाद के क्रम सं. 22सी और 22डी के अन्तर्गत 'गैर-बासमती चावल' पर डीईपीबी लाभ को 27 मार्च 2008 से तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएन दिनांक 3 अप्रैल 2013 के माध्यम से विविध उत्पाद के क्रम सं. 22सी और 22डी के अन्तर्गत 'बासमती चावल' पर डीईपीबी लाभ को 3 अप्रैल 2008 से स्थगित किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, दिल्ली ने डीईपीबी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2008 के दौरान गैर-बासमती और बासमती चावल के निर्यात पर ₹ 1.94 करोड़ के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए 28 लाइसेंस जारी किए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि मामलें समीक्षाधीन हैं और अद्यतन स्थिति की सूचना दी जाएगी।

## 4.6 भारत में निर्मित न किए गए माल की आपूर्ति के लिए डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

डीईपीबी दरों की अनुसूची (9 फरवरी 2004 में अधिसूचित) की डीईपीबी दरों के लिए सामान्य निर्देशों के क्रम सं. 1(ई) के अनुसार अनूसूचि में उल्लेखित डीईपीबी दरें विदेशी-मूल के माल के निर्यात पर लागू नहीं होगी जब तक कि इस माल का विनिर्माण या परिष्करण या जिस पर समान परिचालन भारत में न किए जाए।

विकास आयुक्त (डीसी), फालटा सेज ने 17 एसबीज़ के अन्तर्गत सेज़ यूनिट को सूती सूट (बुने हुए) की आपूर्ति के लिए एक घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) यूनिट मै. एक्सोटिका इंटरनेशनल को ₹ 74.84 लाख का शुल्क क्रेडिट अनुमत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसबीज पर पृष्ठांकित सीमा शुल्क अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 11 एसबीज़ के प्रति माल ओमान या कुवैत में विनिर्मित किए गए थे। चूंकि, माल का विनिर्माण भारत में नहीं किया गया था तो आपूर्तिकर्ता इन 11 एसबीज के प्रति आपूर्तियों के लिए डीईपीबी योजना के अन्तर्गत ₹ 50.16 लाख के शुल्क क्रेडिट का पात्र नही था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

## 4.7 सेज़ यूनिट को माल की आपूर्ति पर डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

एचबीपी खण्ड 1 पैराग्राफ 4.43, के अनुसार सेज यूनिट को डीटीए से आपूर्तियों के लिए डीईपीबी क्रेडिट हेतू एक आवेदन निर्धारित फार्म में बीआरसी सहित संबंधित आरए या डीसी को भेजा जा सकता है। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार सेज यूनिट/सेज़ विकासक/सह-विकासक को डीटीए यूनिट द्वारा आपूर्ति के मामलें में निर्यातक सेज़ सूनिट/सेज़ विकासक/सह-विकासक के विदेशी मूद्रा अकाऊंट से किए गए निर्यातों के लिए क्रेडिट हेतू आवेदन कर सकता है। तथापि, निर्यातक 10 फरवरी 2006 से प्राप्त आपूर्तियों के लिए सेज़-विकासक/सह-विकासक द्वारा भारतीय रूपये में किए गए भुगतान के मामले में डीईपीबी लाभ के लिए भी हकदार होगा।

डीसी, फालटा सेज़ ने सेज़ यूनिटों को माल की आपूर्ति के लिए सात डीटीए यूनिटों को जनवरी 2006 और जनवरी 2009 के बीच कुल ₹ 89.40 लाख के दस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स जारी किये। दावेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई बीआरसीज़ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सेज़ यूनिटों द्वारा किए गए भुगतान भारतीय मुद्रा में थे। चूंकि, केवल सेज़ विकासक/सह विकासक को भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति थी इसलिए सेज़ यूनिटों द्वारा किए गए ऐसे संव्यवहार डीईपीबी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट की प्राप्ति के लिए हकदार नहीं थे। इसलिए, ₹ 89.40 लाख के शुल्क क्रेडिट का अनुदान अनियमित था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

### 4.8 निर्यातित डीईपीबी मदों के कुल भार की घोषणा न करने के कारण डीईपीबी क्रेडिट का अनियमित अनुदान

डीईपीबी अनुसूचि के अनुसार उत्पाद कोड 62/494 के तहत् निर्यातित नाइलोन टायरकोर्ड वार्प शीट या बाइल रबर टयूब्स के साथ या उसके बिना रियोन टायरकोर्ड शीट से सुदृढ किए गए वाहन टायर ₹ 90 प्रति कि.ग्रा. (एफओबी मूल्य) की अधिकतम सीमा पर 10 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट के हकदार थें।

आरए, नई दिल्ली ने 43 हस्तलिखित एसबीज़ के आधार पर ₹ 54.86 लाख के लिए मै. मोदी टायर्स कम्पनी लि. को लाइसेंस जारी किया और डीईपीबी शुल्क क्रेडिट अधिकतम सीमा की लागू दर तक सीमित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एसबीज में डीईपीबी और गैर-डीईपीबी मदें निर्दिष्ट थी तथापि, निर्यातक ने अपने संबंधित कुल भार की घोषणा नहीं की थी और इसकी बजाए निर्यातित यूनिटों की कुल संख्या की गलत घोषणा की थी। चूंकि अधिकतम सीमा की गणना माल के कुल भार के आधार पर की जाती है, तब डीईपीबी मदों के कुल भार की किसी घोषणा के अभाव में विभाग ने आवेदन में निर्यातक द्वारा घोषित किए गए भार के आधार पर लाभ को स्वीकार किया और अनुदान प्रदान किया।

सुसंगत जानकारी के अभाव में दावे की सटीकता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आवेदनकर्ता ने स्वयं डीईपीबी आवेदन में भार की घोषणा की है किन्तु उसकी प्रति-जाँच नही की जा सकी थी। आरए, दिल्ली ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों के संबंध में सभी प्रविष्टियों कि सतर्कता पूर्वक जाँच करने में उपयुक्त सावधानी बरती जाएगी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसबी एक प्रमाणित अभिलेख है और विभाग केवल आवेदनकर्ता द्वारा दी गई घोषणा पर निर्भर नहीं रह सकता।

## 4.9 वसूली न गई निर्यात प्राप्तियों के प्रति शुल्क क्रेडिट का अनियमित अनुदान

एचबीपी, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.45 के अनुसार आरएलएज़ को ऐसे सभी मामलों की निगरानी रखना अपेक्षित है जहां स्क्रिप(एस) बीआरसी के बिना जारी की गई हैं और यह सुनिश्चित करना कि बीआरसी स्क्रिप(एस) जारी करने की तारीख से 12 माह के भीतर प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, एचबीपी के पैराग्राफ 2.25.3 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां आवेदनकर्ता क्रेडिट के सदृश अटल साख पत्र के प्रति शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन करता है और इसे निर्यात एवं वसूली के संगत बैंक प्रमाण पत्र में निर्यातक के बैंक द्वारा पालन और प्रमाणित किया गया है तो निर्यात से प्राप्ति के भुगतान को उद्ग्रहीत माना जाएगा। पदधारी के लिए क्रेडिट के अटल साख पत्र काफी होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो आरएज (नई दिल्ली और कोलकाता) के तीन मामलों में ₹ 5.48 करोड़ का शुल्क क्रेडिट निर्यात से प्राप्ति की वास्तविक वसूली के बिना दिया गया था। इसके अलावा, स्क्रिप्स वसूल न की गई निर्यात प्राप्तियों के प्रति बैंक प्रत्याभूति/विधिक शपथ प्राप्त न करके सरकारी राजस्व को सुरक्षित किए बिना जारी की गई थी।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि डीईपीबी मामलों के अन्तर्गत लम्बित वसूलियों की उच्चतम स्तर पर सतर्कतापूर्वक निगरानी की जा रही है। वसूली न करने के मामलें में समय-समय पर संशोधित एफटी

(डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। आरम्भ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

### 4.10 अग्रिम भुगतान पर डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) अधिनियम (फेमा) 2000 के खण्ड 16 के अनुसार जहां निर्यातक भारत से, बाहर के क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज सहित या बिना), प्राप्त करता है, वहां यह सुनिश्चित करना निर्यातक का दायित्व होगा कि माल का नौवहन अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर दिया गया हैं या जहां निर्यात करार अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए माल के नौवहन हेतू प्रावधान करता है, वहां निर्यातक को रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, कोच्ची ने आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त किए बिना जुलाई और अगस्त 2007 के दौरान प्राप्त ₹ 94.00 लाख के अग्रिम भुगतान के प्रति सितम्बर और दिसम्बर 2009 के बीच किए गए नौवहन के लिए निर्यातक को ₹ 0.70 लाख के डीईपीबी शुल्क स्क्रिप जारी किए थे, जोकि नियमानुसार नहीं थें।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीईपीबी योजना अब प्रचालन में नहीं है। जहां तक डीजीएफटी के प्रतिफल और वीकेजीयूवाई, एफएम़एस, एफपीएस जैसी प्रोत्साहन योजनाओं का संबंध है, लदान बिल केवल प्रतिफल के दावे के उद्देश्य को दर्शाते है और सही लाभ के अनुदान को सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी द्वारा जांच की जाती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि प्राधिकरण धारक को एससीएन जारी किया गए हैं।

डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग में डीईपीबी स्क्रिप्स के गलत अनुदान को समाप्त करने के लिए स्थगित अवधि के दौरान की गई निर्यात खेप को फिल्टर करने हेतू कोई नियंत्रण नहीं की है। आरम्भ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

## 4.11 डीईपीबी लाभ की गलत मंजूरी

एफटीपी के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार एक निर्यातक स्वतंत्र रूप से विनिमय मुद्रा में किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य की विशेष प्रतिशतता पर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे निर्यात उत्पादों पर क्रेडिट पीएन के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट दरों के प्रति उपलब्ध होगा। इसके अलावा, डीईपीबी दरों के लिए सामान्य निर्देशों के अनुसार, जहां भी कोई विशेष दर डीईपीबी दर सूची के अन्तर्गत विशेष मद के लिए मौजूद है, वहां उस मद को डीईपीबी दर सूचि के सामान्य विवरण के तहत् कवर नही किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि क्या आरएज यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहे थे कि शुल्क क्रेडिट की गणना अधिसूचित दरों के अनुसार और इसकी तरफ से दिए गए प्रावधानों के अनुसार सही रूप से की गई थी। निम्नलिखित मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिक शुल्क क्रेडिट के लाइसेंस जारी किए गए थे।

### (I) माल का गलत वर्गीकरण और डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

डीईपीबी शुल्क क्रेडिट अधिसूचित दरों पर विशेष माल के निर्यात पर वांछनीय है। लेखापरीक्षा में देखा कि दो मामलों में, निर्यातित माल का गलत वर्गीकरण किया गया था और डीईपीबी क्रेडिट गलत रूप से दिए गए थे।

### (क) मत्स्य और मत्स्य उत्पाद

उत्पाद ग्रुप 66 (मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) में क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत जीवित या शीतित या सुखाए गए रूप में समुद्री या ताजे पानी के मत्स्य, क्रस्टेशन, सीप, जलीय, अकशेरूकीय और कोई जलीय प्राणी उत्पाद डीईपीबी क्रेडिट के 4 प्रतिशत के योग्य हैं जबकि शीतित रूप में समुद्री या ताजे पानी के मत्स्य, क्रस्ट्रेशन, सीप, जलीय, अकशेरूकीय और कोई जलीय प्राणी उत्पाद 12 जुलाई 2007 (पीएन 17 आरइ 2007) से उत्पाद ग्रुप 66 (मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) में क्रम सं. 2 के अन्तर्गत 8 प्रतिशत डीईपीबी क्रेडिट के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, पीएन 69 दिनांक 28 मई 2010 सुखाए गए रूप में मत्स्य, क्रस्टेशन आदि के लिए ₹ 131/कि.ग्रा. के मूल्य अधिकतम सीमा को निर्धारित करता हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, कोच्ची ने उपरोक्त उत्पाद ग्रुप 66 की क्रम संख्या 2 के तहत् वर्गीकरण करके 'फ्रिज ड्राइड़ श्रिम्प के निर्यात हेतू दो निर्यातकों को 8 प्रतिशत की दर पर डीईपीबी क्रेडिट दिया था। निर्यातित माल क्रम सं. 1 के तहत् सही रूप से वर्गीकरण योग्य है और इस प्रकार यह निर्यातों के एफओबी मूल्य के 4 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट का पात्र था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ तक के डीईपीबी क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि मामले को आरए, कोच्ची द्वारा डीजीएफटी को भेजा गया है। डीईपीबी समिति में प्रशासनिक मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले तकनीकी सदस्यों के साथ परामर्श के लिए यह मामला विचाराधीन है।

**(ख) हॉट रोल्ड स्टील शीट्स**

आरए, कोलकाता ने अप्रैल 2005 में कोलकाता (समुद्री पोर्ट) के माध्यम से निर्यातित ₹ 13.81 करोड़ के एफओबी मूल्य हेतू जी.पी. कॉइल के निर्यात पर ₹ 67.82 लाख के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए। निर्यातक को ₹ 30.50/कि.ग्रा. की अधिकतम मूल्य सीमा के साथ 4 प्रतिशत की दर पर उत्पाद कोड 61 की क्रम सं. 329 के तहत् डीईपीबी की अनुमत की गई थी।

दावे के साथ प्रस्तुत किए गए निर्यात दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि एसबी में निर्यात मद का ब्यौरा 'कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स' था जो उसे सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 7208 5190 के तहत् वर्गीकृत करता है जोकि 'हॉट रोल्ड स्टील शीट्स आदि' से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, बीजकों और बीआरसी मे निर्यात उत्पाद को 'हॉट डिप्ड गेलवेनाइज्ड स्टील कॉइल' के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन, विभिन्न निर्यात दस्तावेजों में निर्यात मद के विवरण में असहमति के बावजूद उच्च दर पर डीईपीबी क्रेडिट 'कोल्ड रोल्ड गलवेनाइज्ड नोन एलोय स्टील शीट्स' आदि के रूप में उत्पाद कोड 61 की क्रम सं. 329 के अनुसार अनुमत किया गया था।

वास्तविक निर्यात मद की जांच के बिना उच्च दर पर डीईपीबी क्रेडिट देने के जोखिम की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आरए, कोलकाता ने मामले के नियमन के लिए दस्तावेजों को सही साबित करने के लिए फर्म से पूछा है और मामले को शीघ्र निपटाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई है।

**(II) निर्यातों की 'नाकारात्मक सूची' के अन्तर्गत मदों पर शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी**

निर्यात के लिए अनुमत माल के ब्यौरे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 2 और 3, दिनांक 31 अगस्त 2004 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत व्यापार वर्गीकरण की अनुसूची 2, निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण में दिए गए है। निर्यात नीति की सामान्य टिप्पणियों के पैराग्राफ 3ए के अनुसार- उपरोक्त अनुसूची 2 की प्रतिबद्धता के तहत् निषिद्ध माल, की मदों को निर्यात करने की अनुमति नही दी जायेगी और निर्यात प्राधिकरण निषिद्ध माल के लिए सामान्य अवस्था में प्राधिकरण नहीं दिया जाएगा।

आईटीसी एचएस कोड के उप-शीर्ष कोड 0713 के तहत् आने वाले दलहनों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 15 दिनांक 27 जून 2006 के माध्यम से भारत द्वारा निर्यातों की 'नकारात्मक सूची' में रखा गया था और निर्यातों के लिए निषिद्ध किया गया था। उपरोक्त प्रतिबंध दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध को डीजीएफटी अधिसूचना सं. 38, दिनांक 25 मार्च 2013 के माध्यम से 31 मार्च 2014 तक बढाया गया था।

आरए, चेन्नई ने वर्ष 2007-08 के दौरान दलहन के निर्यात के लिए ₹ 1.12 लाख के डीईपीबी शुल्क क्रेडिट जारी किए। इसी प्रकार, ₹ 2.05 लाख के एफओबी मूल्य सहित दलहन के 11 दूसरे लदानों की डीईपीबी पश्च-निर्यातों के तहत् चेन्नई सीपोर्ट पर अनुमति दी गई थी, जब उपरोक्त प्रतिबंध लागू था।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि उन परिस्थितियों की जांच की जा रही है जिनके अन्तर्गत ऐसे निर्यात की अनुमति दी गई थी और चेन्नई में निर्यातक से वसूली कर ली गई है।

## 4.12 अयोग्य मदों पर डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

डीईपीबी योजना के अन्तर्गत, स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में, निर्यातों के एफओबी मूल्य की विशेष प्रतिशतता के रूप में क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। क्रेडिट ऐसे उत्पादों और डीजीएफटी द्वारा पीएन के माध्यम से जारी दरों से उपलब्ध होगा। यह दरें निर्यात उत्पाद पर लागू एसआईओएन में सूचिबद्ध इनपुटों पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क की गणना पर आधारित थी। डीईपीबी दरों हेतू सामान्य निर्देशों के अनुसार जहां भी डीईपीबी दर सूची के तहत विशेष मद के लिए कोई विशेष दर मौजूद है वहां मद को डीईपीबी दर सूची के किसी सामान्य विवरण के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः आरएज ने सात मदों के निर्यात पर 172 लाइसेंस जारी किए थे, जिन्हें डीईपीबी अनुसूची में शामिल नही किया गया है। आरएज, नई दिल्ली और हैदराबाद में देखें गए दो मामलों में शुल्क क्रेडिट के गलत अनुदान के ब्यौरों की कमी के कारण गणना नहीं की जा सकी थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एमइपीजेड़) – सेज़ (चेन्नई) और आरएज़ पूणे, नई दिल्ली, कोलकाता और बैंगलुरू में ₹ 1.12 करोड़ के 176 डीईपीबी स्क्रिप्स सात मदों (प्रमुख शाखा के पूर्वनिर्मित भाग, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, बिना बीज के रीठा, आईजीएल – 5060 मोनो इथाइल ग्लाइकोल, फ्रोजन पील्ड फिर पकाए गए पीयूडी झींगा, मैनिप्युलेटर, रोटेटर, हाइड्रोलिक फिटअप स्टेशन और वेल्डिंग रोटेटर तथा कांच की बोतलो में पैक की गई कॉफी) के लिए दिए गए थे जोकि डीईपीबी अनुसूची में शामिल नहीं थे और इस प्रकार डीईपीबी शुल्क क्रेडिट के अनुदान के पात्र नहीं थे।
- डीईपीबी अनुसूचि के अनुसार उत्पाद ग्रुप 62 का उत्पाद क्रम संख्या 519 'सौन्दर्य क्रीम' को कवर करता है। ₹ 6.58 लाख के सात डीईपीबी लाइसेंस जारी करते समय आरए, नई दिल्ली में डीईपीबी योजना के तहत् लाभ की गणना के लिए सौंदर्य क्रीम के साथ गैर-डीईपीबी मदों अर्थात टोनर, क्लिंजर, आई लाईनर, कंडिशनर, शैम्पू, नेल इनेमल, साबुन और काजल पर भी विचार किया गया था। डीईपीबी क्रेडिट की

गणना करते समय आरए, नई दिल्ली द्वारा निर्यातित माल से इन मदों को हटाने में चूक के कारण डीईपीबी क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ। सीमा शुल्क प्राधिकरण भी डीईपीबी के तहत् लाभ के दावे हेतू ऐसे उत्पादों को नामंजूर करने में विफल रहा।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि दिल्ली में वसूली ज्ञापन जारी कर दिया गया है। पुणे में, फर्म को अस्वीकृत सत्वों की सूची (डीईएल) में रखा गया है और एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गई है जबकि कोलकाता में मामलें को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

### 4.13 समय बाधित दावे पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान

एचबीपी, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.46 के अनुसार दावा किए गए लदान के संबंध में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यातों की तारीख से बारह माह की अवधि या डीजीएफटी वेबसाईट के अप-लिंकिंग की तारीख, या शिपिंग बिल की प्रिंटिंग/निर्गम की तारीख से तीन माह के अन्दर, जो भी बाद में हो, दर्ज की जाएगी।

डीसी, फालटा सेज़ ने नवम्बर 2003 और मई 2005 के बीच एलईओ तारीख के साथ एसबीज़ के लिए जुलाई 2005 और जून 2008 के बीच किए गए दावों के लिए ₹ 50.51 लाख के शुल्क क्रेडिट के साथ पाँच डीईपीबी लाइसेंस दिए। चूंकि आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा के निकल जाने के बाद दर्ज किए गए थे तब यह समय बाधित बन गए थे और इस प्रकार डीईपीबी शुल्क क्रेडिट के अनुदान के लिए पात्र नही थे।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि 7 आरएज़ (अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलुरू, कानपुर और देहरादून) और 02 सेजों (फालटा और कांडला) में 70 मामलों में ₹ 25.93 लाख के अधिक डीईपीबी क्रेडिट लेट-कट के गैर/गलत अधिरोपण के कारण दिए गए थे।

इंगित किए जाने के बाद (मई/जून 2013) आरए, अहमदाबाद ने बताया (जुलाई 2013) कि जवाब जांच के बाद भेजा जाएगा। डीसी, कांडला, विशेष आर्थिक जोन (कासेज़) गांधीधाम ने उत्तर दिया (जून 2013) कि वसूली, यदि कोई है, दस्तावेजों की उचित संवीक्षा के बाद की जाएगी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, नई दिल्ली ने पांच शिपिंग बिलों के दो मामलों में ₹ 0.98 लाख के अधिक लेटकट का उदग्रहण किया, यद्यपि आवेदन उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में दर्ज किए गए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आरए, नई दिल्ली और हैदराबाद के मामलों में स्क्रिप्स सही रूप में जारी की गई थी क्योंकि आवेदन बीआरसी के अनुसार वसूली की तारीख से छः माह के भीतर दर्ज किए गए थे और दिल्ली के एक मामलें में वसूली शुरू कर दी गई। समान वसूली कार्रवाई आरए, बैंगलुरू में भी शुरू की गई है और कानपुर ने भी वसूली कार्य आरम्भ कर दिया है तथा आरए, जयपुर में भी वसूली की गई है।

### 4.14 तीसरे पक्ष के निर्यातों पर शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान

एफटीपी के पैराग्राफ 2.34 के अनुसार जैसे कि अध्याय 9 में परिभाषित है तीसरे पक्ष के निर्यातों को एफटीपी के अन्तर्गत अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 9.62 के अनुसार 'तीसरा पक्ष निर्यातों' का अभिप्राय निर्यातक (कों) की तरफ से निर्यातक या विनिर्माता द्वारा किया गया निर्यात है। ऐसे मामलों में एसबीज़ जैसे निर्यात दस्तावेज विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और अन्य पार्टी निर्यातक (कों) दोनो के नाम स्पष्ट करेगा। बीआरसी, जीआर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक तीसरा पक्ष निर्यातक के नाम पर होने चाहिए।

आरए, कोलकाता ने 'पोल लाइन हार्डवेयर फिटिंग्स और सहायक सामग्री' के निर्यात के लिए नवम्बर 2010 में मै. एस्बेस्कों (इंडिया) प्रा. लि. को ₹ 75.49 लाख के हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए थे। डीईपीबी क्रेडिट के दावे जनवरी और मार्च 2009 के बीच 20 एसबीज़ के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. फेडर्स लॉयड कारपोरेशन लि. निर्यातक था जबकि मै. ऐस्बेस्को (इंडिया) लि. तीसरा पक्ष निर्यातक था। तथापि, न तो मै. एस्बेस्को (इंडिया) के नाम में बीआरसीज़ थी न ही फर्म के नाम कोई अनुमोदन था। तथापि, आरए कोलकाता, ने ₹ 75.49 लाख के लिए डीईपीबी स्क्रिप दिए थे जो नियमों का उल्लंघन है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि तीसरा पक्ष का अनुमोदन बीआरसीज़ में पृष्ठांकित कर दिया गया है। डीजीएफटी का जवाब सही नहीं है क्योंकि मै. फेडर्स लॉयड कारपोरेशन लि. के पत्र में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बीआरसीज़ में तीसरा पक्ष निर्यातक का अनुमोदन प्राप्त नही है।

डीजीएफटी ने उचित व्याख्या को सुनिश्चित करने और योजना के तहत् लाभ के गलत अनुदान के लिए योजना की शर्तों को स्पष्ट रूप से नहीं बनाया था।

### 4.15 डीईपीबी योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को अनुचित लाभ

एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार डीजीएफटी एफटी (डीएण्डआर) अधिनिमय, उसके तहत् बनाए गए नियमों और आदेशों एवं एफटीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक निर्यातक अथवा आयातक अथवा किसी लाइसेंस अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने हेतू प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाएँ पीएन के माध्यम से प्रकाशित की जानी चाहिए तथा समय समय पर उसी ढंग से संशोधित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यातकों को कोई अनुचित लाभ प्रसारित नही किया गया था, विभिन्न मदों पर डीईपीबी लाभ के प्रत्याहार तथा प्रत्यावर्तन हेतु डीजीएफटी द्वारा जारी किये गए पीएनस् की संवीक्षा की। जारी किये गए पीएनस् में कमियों के कारण अनुचित लाभ के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए थे।

#### (क) अन्तर्विराधी अधिसूचनाओं के कारण सूती कपड़े के निर्यातको को अनुचित लाभ

*सूती कपड़े के निर्यात पर पूर्ववर्ती प्रभाव से लाभ के प्रत्याहार हेतु पीएन दिनॉक 31 मार्च 2011 जारी करते समय, डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 'जब*

*सरकार की इच्छा विशिष्ट वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहित करने की नही है, ऐसी वस्तु पर डीईपीबी लाभ इसकी इच्छा का विरोधाभासी होगा।'*

' मीलेंज धागें सहित सूती धागे' के निर्यात पर डीईपीबी लाभ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के साथ दिनॉक 21 अप्रैल 2010 के पीएन द्वारा वापिस ले लिया गया था। 'मीलेंज धागे सहित सूती धागे' पर निर्यात लाभ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के लिए दिनॉक 4 अगस्त 2011 के पीएन द्वारा फिर से लागू कर दिया गया था। इसी तरह, सूती कपड़े पर निर्यात लाभ 1 अक्तूबर 2010 से प्रभावी होने के साथ दिनांक 4 अगस्त 2011 के पीएन द्वारा फिर से लागू कर दिया गया था। अत: लाभ को वापस लेने के साथ-साथ करके अलग अलग तिथियों से दोनों मदों पर डीईपीबी लाभ को पूर्वप्रभाव से फिर से लागू करने से ना केवल इन दोनो मदों के निर्यात को निरूत्साहित करने की सरकार की मंशा विफल हुई परन्तु सूती कपड़े के निर्यातकों को छह महीने तक अनुचित लाभ भी दिया गया।

आरए मुम्बई ने, नवम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक कपास के निर्यात हेतू सात निर्यातकों को ₹ 17.03 करोड़ मूल्य के 47 लाइसेंस जारी किये थे।

अत:, दिनांक 4 अगस्त 2011 के पीएन 68 को जारी करना दिनांक 31 मार्च, 2011 के पीएन में व्यक्त की गई सरकार की मंशा विरोधाभासी था, एवं सूती कपड़े के निर्यातकों को अनुचित लाभ दिया गया।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि दो विभिन्न तिथियों पर कपास एवं सूती धागे के निर्यात पर डीईपीबी लाभ की बहाली नीतिगत मामला है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि सूती धागे पर प्रोत्साहन की बहाली (अप्रैल 2011) से पहले कपास पर डीईपीबी की वापसी (अक्तुबर 2010) दिनांक मार्च 2011 के पीएन द्वारा सूती धागे के साथ सूती कपड़े पर प्रोत्साहन की वापसी की मंशा के विरूद्ध था। यह ये भी दर्शाता है कि नीति कार्यान्वयन में अनिरन्तरता थी।

**(ख)** बासमती चावल के निर्यातको को अनुचित लाभ

कैबीनेट सचिवालय ने 27 मार्च 2008 को चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया एवं तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के चावल पर निर्यात प्रोत्साहन के वापसी का आदेश दिया। डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा तत्काल प्रभाव (27 मार्च 2008) से गैर-बासमती चावल पर विविध उत्पादों के क्रम सं. 22सी तथा 22डी के तहत डीईपीबी लाभ के स्थगत हेतु पीएन दिनांक 27 मार्च 2008

जारी किया गया था। तथापि, बासमती चावल पर लाभ की वापसी हेतु ज्ञापन सात दिनों की अवधि का अंतराल करते हुए दिनांक 3 अप्रैल 2008 को ही जारी किया गया था, फलस्वरूप 27 मार्च 2008 से 2 अप्रैल 2008 तक की अवधि के लिए बासमती चावल के निर्यातकों को अनुचित लाभ मिला।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो आरए (नई दिल्ली एवं मुम्बई) ने 27 मार्च 2008 से 2 अप्रैल 2008 के दौरान बासमती चावल के निर्यात पर ₹ 3.92 करोड़ मूल्य के 25 लाइसेंस जारी किये थे।

इसी प्रकार, बासमती चावल पर निर्यात प्रोत्साहन की वापसी के जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप बासमती चावल के निर्यातको को ₹ 3.92 करोड़ तक का अनुचित लाभ हुआ।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) बताया कि गैर-बासमती चावल का डीईपीबी लाभ वाणिज्यिक सचिव के मौखिक निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक ज्ञापन सं. 130 दिनांक 27.03.2008 द्वारा वापिस लिया गया था। सभी प्रकार के चावल पर डीईपीबी लाभों की वापसी हेतु कैबीनेट सचिवालय से लिखित सूचना डीजीएफटी में 31.03.2008 को ही प्राप्त हुई थी। अतः बासमती चावल पर डीईपीबी लाभों की वापसी हेतु सार्वजनिक ज्ञापन सं. 137 तथागत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन के साथ, आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद 03.04.2008 को जारी किया गया था।

तथ्य यह है कि बासमती चावल पर प्रोत्साहन की वापसी वाले पीएन के जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ।

**4.16** अयोग्य निर्यातकों को लाभ

विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 का नियम 7 आरए को नये लाइसेंस प्रदान करने से मना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि आवेदनकर्ता ने सीमा शुल्क/एफटीपी की किसी विधि/विनियम का उल्लंघन किया हो। एक बार असम्मति आदेश (आरओ) जारी होने पर, सत्तव का नाम डीईएल में लिखा जाएगा जो लाईसेंस धारक को कोई नया लाईसेंस प्राप्त करने से वंचित करता है।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि आरएज यह सुनिश्चित करने के लिए कि चूककर्ताओं को अथवा योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य आवेदन कर्त्ताओं को लाइसेंस जारी नही किये गए थे, जॉच-पड़ताल कर रहे थे। निम्नलिखित उदाहरणों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंस अयोग्य निर्यातकों को जारी किये गए थे।

### (क) असम्मति आदेश के बावजूद लाईसेंस जारी किए गए

आरए अहमदाबाद, जयपुर, बैंगलोर ने निर्यातकों को आरओज जारी किये जाने तथा निर्यातकों को आरएज में अनुरक्षित डीईएल में रखे जाने के बावजूद अस्थाई रूप से एक छोटी अवधि के लिए चूककर्त्ताओं के नाम को डीईएल से हटाने के लिए आरओज के विरूद्ध स्थगन आदेश (एओ) जारी करने के बाद ₹ 127.51 करोड़ की राशि के डीईपीबी स्कराईप जारी किये थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक लाइसेंसधारक जिसका नाम डीईएल में रखा गया है, के प्रति एओ जारी करने हेतु एफटीपी में कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, लाइसेंस जारी करने को सरल बनाने हेतु निर्यातकों के पक्ष में एओज बार बार जारी किये जा रहे थे। आरओं की शर्तों का अनुपालन किये बिना जारी किये गए एओज ने लाइसेंस धारक को डीईएल के तहत रखे जाने के मूल उद्देश्य तथा एफटी (डी एवं आर) अधिनियम के प्रावधानों को विफल किया।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि प्रतिबन्धित सत्तव सूची (डीईएल) हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 31 दिसम्बर 2003 विदेशी व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियम 7 के तहत दिए गए हैं जो कहते हैं कि फर्म को डीईएल में रखने वाला एक प्राधिकारी एक व्यक्त आदेश द्वारा फर्म को डीईएल से हटा भी सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि एओज को वैधानिक बनाने हेतु विधान में कोई प्रावधान नहीं था।

### (ख) अयोग्य निर्यातक का जारी किया गया लाइसेंस

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, अहमदाबाद ने मैसर्ज मेघमणि आर्गेनिक्स लि. को अपने दिनांक 5 जनवरी 2012 के आदेश द्वारा प्रतिबन्धित सत्तव सूची (डीईएल) के तहत रखा था। जब निर्यातक ने शुल्क सक्राईप हेतु आवेदन किया तो आरए, अहमदाबाद ने यह कहते हुए कि "फर्म डीईएल में थी परन्तु चूकवश डीईपीबी लाइसेंस पहले से ही टाईप हो गया है," ₹ 64.97 लाख राशि का डीईपीबी लाईसेंस जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.97 लाख के डीईपीबी लाईसेंस की अनियमित मंजूरी दी गई।

मामलों के विश्लेषण से पता चला कि एक अकेले असम्मति आदेश के विरूद्ध 10 से भी अधिक स्थगन परिपत्र जारी किये गए थे, परिणामस्वरूप नये लाइसेंसों को जारी करना सरल हो गया।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि प्रतिबन्धित सत्तव सूची (डीईएल) हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 31 दिसम्बर 2003 विदेशी व्यापार

(विनियम) नियमवली, 1993 के नियम 7 के तहत दिए गए हैं जो कहते है कि फर्म को डीईएल में रखने वाला एक प्राधिकारी एक व्यक्त आदेश द्वारा फर्म को डीईएल से हटा भी सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि उन शर्तों को पूरा किये बिना जिनके लिए असम्मति आदेश जारी किया गया था, स्थगन आदेशों को जारी करना,एक लाइसेंसधारक को डीईएल के तहत रखने के मूल उद्देश्य को विफल करता है।

### 4.17 डीईपीबी लाभ का अधिक अनुदान

एचबीपी खण्ड 1 का पैराग्राफ 4.38 निर्धारित करता है कि डीईपीबी दरें, जैसी डीजीएफटी द्वारा पीएन के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, एफओबी मूल्य अथवा जहाँ अधिकतम सीमा विद्यमान हो, जो भी न्यूनतम हो, पर लागू होगी।

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या आरएज ने सुनिश्चित करने के लिए कि डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की सही ढंग से गणना की जा रही थी, जांच पड़ताल की थी। निम्नलिखित उदाहरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिक लाभ का अनुदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ आरएज में (जयपुर, हैदराबाद, कटक, बैंगलोर, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम, कोच्ची तथा तिरूवनत्तपुरम) 44 मामलों में ₹ 1.54 करोड़ की राशि का डीईपीबी शुल्क क्रेडिट वॉछनीय एफओबी मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर डीईपीबी दर को लागू करने के कारण हकदारी से अधिक अनुदान हुआ था।

एक उदाहरण में यह देखा गया कि आरए, बैंगलोर ने गलती से ₹ 0.57 लाख के बजाय ₹ 57.53 लाख के रूप में शुल्क हकदारी की गणना करते हुए ₹ 56.96 लाख का अधिक डीईपीबी लाईसेंस जारी किया था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचित मामलों में कार्यवाही प्रारंभ की है। की गई कार्यवाही लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

### 4.18 एक डीटीए यूनिट द्वारा एक सेज युनिट/सेज विकासक/ सह-विकासक को आपूर्ति के मामले में डीईपीबी स्क्रीपस जारी करने की प्रणाली

एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.43 बी की शर्तों के अनुसार, डीटीए से सेज को की गई आपूर्तियोंके लिए क्रेडिट के अनुदान हेतु आवेदन डीटीए यूनिट अथवा सेज युनिट द्वारा किया जा सकता है। डीटीए यूनिट संबंधित आरए अथवा डीसी से लाभ का दावा कर सकती है। ऐसे मामलें मे जहाँ दावे आरए के पास दर्ज

किये गए हैं, डीटीए यूनिट को लाभ संस्वीकृत करते समय, हुए निर्यात दस्तावेजों के विवरण के साथ संबंधित डीसी को सूचना की एक प्रति पृष्ठाँकित करेगा।

तथापि, यह पाया गया था कि आरए, चेन्नई ने ऊपर दर्शायी गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना एक सेज विकासक को की गई आपूर्तियों के लिए एक डीटीए यूनिट को ₹ 1.18 करोड़ मूल्य की तेरह डीईपीबी स्क्रीपस का अनुदान किया था। समान अभ्युक्तियां आरए, कोलकाता में भी देखीगई थी।

इसे बताए जाने पर आरए चेन्नई ने बताया कि अधिकतर फाइलों में उनका कार्यालय संबंधित डीसी, सेज को सूचना की एक प्रति पृष्ठाँकित करता है, एवं कुछ मामलों में यह भूलवश नही किया गया था। आरए, कोलकाता से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

### 4.19 निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये बिना शुल्क क्रेडिट स्क्रीपस जारी करना

एएनएफ4जी (एचबीपी 2009-14) के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीईपीबी आवेदन के साथ आवेदन शुल्क, निर्यात के बिल की ईपी प्रति तथा आपूर्तिकर्त्ता को किये गए भुगतान के साक्ष्य में बीआरसी अवश्य होने चाहिए।

डीसी, कासेज, गॉधीधाम ने मैसर्ज पीपावाब शिपयार्ड लि. (अमरेली) को 'निर्यात के बिल की ईपी प्रति' के स्थान पर निर्यात के बिल की 'विनिमय नियंत्रण प्रति' जमा कराने पर डीईपीबी लाईसेंस जारी किया। इसके परिणामस्वरूप वैध दस्तावेजों के बिना ₹ 15.96 लाख के लिए डीईपीबी लाईसेंस का अनियमित अनुदान हुआ।

आरए, कोयम्बटूर ने दिनांक 12.01.2012 के नीति परिपत्र के तहत अपेक्षित था, यह शपथ प्राप्त किये बिना कि 'निर्यातक ने ईपीसीजी के तहत किये गए निर्यात के लिए शिपिंग बिल के तहत किये गए निर्यात पर कोई छूट/निष्प्रभावीकरण लाभ प्राप्त नहीं किया है' ₹ 1.13 करोड़ राशि का डीईपीबी शुल्क क्रेडिट जारी किया था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि आरए, कोयम्बटूर द्वारा जारी किये गए डीईपीबी के मामले में फर्म ने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा डीसी, कासेज द्वारा जारी किये गए डीईपीबी के मामले में फर्म को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा फर्म से उत्तर की प्राप्ति होने पर कार्यवाही शुरू की जाएगी।

### 4.20 डीईबीपी लाइसेंस जारी करने में विलम्ब

एचबीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 9.11 के अनुसार, आरए शीघ्रता से 3 दिन के अन्दर डीईपीबी आवेदन का निपटान करेगा बशर्ते यह हर तरह से पूरा हो एवं निर्धारित दस्तावेजों सहित हो।

डीसी, कासेज, गॉधीधाम ने 1 दिन से 103 दिनों के विलम्ब से 20 डीईपीबी लाईसेंस जारी किये। इसके अतिरिक्त, लाईसेंस जारी करने में हुए विलम्ब के लिए कोई कारण नही दर्शाया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2013) डीसी, कासेज, गॉधीधाम ने उत्तर दिया (जून 2013) कि विलम्ब मंत्रालय संबंधी स्टाफ की कमी के कारण था एवं सरकारी राजकोष को कोई हानि नहीं हुई थी।

स्टाफ की कमी से संबंधित विभाग का उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि उनके पास पूरी मानव शक्ति विद्यमान है।

### 4.21 पुष्ट मांग की वसूली में विलम्ब

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142(ग)(i) के अनुसार जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य राशि का भुगतान उपरोक्त धारा की उप-धारा (क) एवं (ख) के तहत कार्यवाही प्रारंभ करके नहीं किया जाता, तो सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क ऐसे व्यक्ति से प्राप्य राशि को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकता है एवं उस जिले के कलैक्टर को भेज सकता है, जहाँ वह व्यक्ति रहता है अथवा अपना व्यापार करता है अथवा किसी सम्पति का स्वामी है, एवं उक्त कलैक्टर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उस व्यक्ति से उसके तहत विनिर्दिष्ट राशि वसूल करने हेतु इस प्रकार कार्यवाही करेगा जैसे यह भूमि राजस्व का बकाया हो।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2010 में ₹ 22.17 लाख (₹ 3 लाख की शास्ति सहित) वाले तीन पुष्ट मॉग वाले मामले सीमाशुल्क सदन, काण्डला में बकाया थे। सभी तीनों मामलों में सितम्बर 2010 में धारा 142(ख) के तहत नजरबन्दी ज्ञापन जारी किये गए थे एवं जनवरी 2012 में अनुवर्ती अनुस्मारक जारी किये गए थे। तथापि, अब तक (जुलाई 2013) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142(ग) के तहत माँग की वसूली हेतु कोई आगामी कार्यवाही नहीं की गई थी। इसे इंगित किए जाने पर, सीमाशुल्क सदन, काण्डला ने बताया (सितम्बर 2013) कि नजरबन्दी ज्ञापन जारी किये गए थे। इसके अतिरिक्त

मामला संबंधित आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद के साथ उठाया गया है एवं सरकारी प्राप्य राशियों की वसूली हेतु वसूली दल नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

- डीआरआई, चैन्नई ने एक फर्म के विरूद्ध 'स्टार्च पाउडर' को 'ओमीपेराजोल' के रूप में गलत उदघोषणा करके ताकि डीईपीबी के तहत लाभ प्राप्त किया जा सके, निर्यात करने के लिए एक मामला बुक किया। तदनुसार, आईसीडी, हैदराबाद ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114 (iii) के तहत ₹ 5 लाख तथा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112(क) के तहत ₹ 2.5 लाख की शास्ति लगाई एवं इसकी अभी वसूली की जानी शेष है। मैसर्ज हेल्पलाईन के संबंध में ₹ 1 करोड़ तथा मैसर्ज मेंजदा इन्टरनेशनल के संबंध में ₹ 1 करोड़ के बकाया की वसूली भी प्रतीक्षित थी।
- आरए, नई दिल्ली ने अधिकतम सीमा के गलत लागू करने के कारण ₹ 4.07 लाख राशि के अधिक शुल्क क्रेडिट के 9 मामलों की सूचना दी एवं इसकी वसूली मार्च 2014 तक प्रतीक्षित थी।

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि काण्डला सीमा शुल्क ने सूचित किया है कि सरकार को प्राप्य राशियों की वसूली की चरणवार प्रक्रिया के एक भाग के नाते, तीन मामलों में नजरबन्दी जारी किये गए हैं तथा तीन मामलों में लुधियाना (1 मामला) तथा राजकोट (2 मामले) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भी ले जाया गया है जहाँ के पते दर्शाए गए थे। प्रमाणपत्र कार्यवाही भी प्रारंभ की गयी थी जो लागू नहीं की जा सकती क्योंकि अब तक कोई सम्पत्ति चिन्हित नहीं की गई थी। आईसीडी, हैदराबाद ने सूचित किया कि मैसर्स पर्ल फार्मा के मामले में, जहाँ ₹ 5 लाख की शास्ति तथा ₹ 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया था, वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की गई थी किन्तु चूककर्त्ता पता लगाने योग्य नहीं हैं। मैसर्ज हेल्प लाईन के मामले में, ₹ 20.50 लाख जमा कराए जाने पर सेसटेट, बैंगलोर ने स्थगन प्रदान किया है। मैसर्ज, मेजदा इन्टरनेशनल के मामले में, ₹ 20.50 लाख जमा करायें जाने पर, सेसटेट, बैंगलोर द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) बताया कि दिल्ली में केवल तीन मामले लम्बित हैं। प्रारंभ की गई कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को दी जा सकती है।

***सिफारिश:*** *नीति कार्यान्वयन मुद्दों और परिचालन दोषों के मामले में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि एफटी (डी एवं आर) अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।*

## 5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 28 आरएज, सात सेजज तथा 31 सीमा शुल्क बन्दरगाहों में हस्त लिखित के साथ इडीआई वातावरण दोनों में नीति कार्यान्वयन मुद्दें तथा परिचालन दोष के मामले देखे। इसे डीजीएफटी का पारितोषिक के कार्यान्वयन तथा प्रोत्साहन योजना हेतु आरएज/सीमाशुल्क/बंदरगाहों की कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली ने और बढ़ा दिया। योजना के कार्यान्वयन, निगरानी तथा अनुपालन में कमियॉं थीं जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया था। उपायों तथा विभाग द्वारा सभी पारितोषिक तथा प्रोत्साहन योजनाओं हेतु जारी की गई चेतावनियों पर तुरन्त कार्यवाही करने के संबंध में डीजीएफटी/सीमाशुल्क तथा आरबीआई के बीच समन्वय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं। डीजीएफटी को नीतिगत प्रावधानों की विभाग से प्राप्त आनलाईन डाटा की समीक्षा करने तथा इडीआई माड्यूल पर डाटा आवश्यकताओं को संशोधित करने की आवश्यकता है। डीईपीबी क्रेडिट शुल्क के वास्तविक भार से नही मिलते थे तथा सीएजी की पिछली रिपोर्टो के बावजूद योजना कार्यान्वयन समान नीति अपनिर्वचनो तथा खराब कार्यप्रणाली में फँसा रहा। डीजीएफटी ने योजना की निष्पादन रणनीति के संबंध में इसकी प्रभावशीलता का कोई परिणाम स्वरूप आकलन नहीं किया था एवं ना ही लाभार्थियों को होने वाले वित्तीय लाभों तथा आयात शुल्क निष्प्रभावीकरण पर योजना के कार्यान्वयन से पहले राजस्व प्रभाव आकलन किया था।

अन्य स्पष्टीकरणों के अलावा डीजीएफटी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) बताया कि लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष कि योजना का प्रारम्भ करते समय योजना की प्रभावशीलता का कोई परिणाम आकलन नहीं किया गया था एवं न ही निर्धारित किए गए परिणाम की तुलना में प्राप्त किए गए परिणाम के विश्लेषण हेतु बीच में कोई राजस्व प्रभाव निर्धारण किया गया था, को नोट कर लिया गया है एवं भविष्य में सभी योजनाओं के लिए इसका अनुपालन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा का विचार है कि जब योजनाओं के प्रभाव अथवा परिणामों के अध्ययन किए जाएँ तो वाणिज्य विभाग/राजस्व विभाग को निर्यातकों/ आयातकों तथा विनिर्माण निर्यातों को योजना आधारित पारितोषिक एवं प्रोत्साहनों तथा पीटीए आधारित प्रोत्साहनों के अभिन्न घटकों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे विवरण संघ सरकार के प्राप्ति बजट में एफआरबीएम उदघोषणाओं के भाग के रूप में अच्छी तरह से उद्देश्य को पूरा कर सकते है।

**नई दिल्ली** **(नीलोत्पल गोस्वामी)**
**दिनॉक : 28 मई 2014** **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(शशि कान्त शर्मा)**
**दिनॉक : 30 मई 2014** **भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक**